26.11.19 प्रार्थना पत्र पेश। अभिभाषक प्रार्थी की ओर से उपस्थित नहीं। राजकीय अभिभाषक उपस्थित। अभिभाषक प्रार्थी व प्रार्थी को मय वारंट तलब-रुक्का कर थोड़ी-थोड़ी देर में आवाज लगाई गई किन्तु कोई भी उपस्थित नहीं।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 17 नियम 3 सीपीसी में खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र वैकल्पिक होकर मय वारंट के रद्द हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर